



# HAMIRPUR POLICE



## METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

प्रभावी पैरवी कर नाबालिग से छेड़खानी करने वाले 01 अभियुक्त को 03 वर्ष का कठोर कारावास एवं आपराधिक धमकी देने वाले 01 अभियुक्त को 01 वर्ष का कठोर कारावास व कुल 8,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलाई गई।



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना जरिया में पंजीकृत मु0अ0सं0-10/2018 धारा-354घ(1)(2),504,506 भा0द0सं0 व 8 पाँक्सो एक्ट में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा0 न्यायालय विशेष पाक्सो एक्ट कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त 1.पुष्पेन्द्र सिंह निवासी कछवाकला को धारा 504,506 भा0द0सं0 व 8 पाँक्सो एक्ट में दोषसिद्ध करते हुये को 03 वर्ष के कठोर कारावास व 6,500 /- रुपये के अर्थदंड से तथा अभियुक्त 2.सुखदेव निवासी कछवाकला थाना जरिया जनपद हमीरपुर को धारा-504,506 भा0द0सं0 में दोषसिद्ध करते हुये को 01 वर्ष के कठोर कारावास व 1,500 /- रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।



अभियोजक  
एडीजीसी रुद्र प्रताप  
सिंह



विवेचक-  
उ0नि0 नन्दकिशोर  
यादव



पैरोकार  
थाना - जरिया  
का0 पंकज कुमार